प्रकाश चंद

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

अगस्त ९, २००४

[अरिजित पसायत एवं सी. के. ठक्कर, न्यायामूर्तिगण.]

दण्ड सहिता, १८६०:

धारा ३००, ३०२ एवं ३०४ भाग १ के अपवाद १, २ व ३:

अभियुक्त द्वारा भ्रातृ हत्या की गयी- धारा ३०० का अपवाद ४- प्रयोजता- विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा ३०२ के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया एवं आजीवन कारावास से दण्डित किया- उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी- अपील पर, अभिनिर्धारण

अचानक झगड़े में किये गये कृत्य धारा ३०० के अपवाद ४ में सम्मिलित हैं- यह अधिक उचित रुप से उस मामले को सम्मिलित करता है, जो अपवाद १ के अंतर्गत नहीं आता है- झगड़ा अचानक था अथवा नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रकरण के साबित तथ्यों पर निर्भर करता है- जब अभियुक्त बिना चिंतन के अचानक झगड़े में मानव वध करता है एवं अनुचित लाभ नहीं उठाता है/ क्रूर तरीके से कार्य नहीं करता है, अपवाद ४ लागू हो जाता है- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितयों में धारा ३०० का अपवाद ४ लागू होगा-तदानुसार अभिरक्षा के दण्ड को दस वर्ष में परिवर्तित किया गया।

धारा ३०० का अपवाद १ एवं ४- के मध्य अंतर- विवेचन।

शब्द एवं वाक्यांश:

अचानक 'लड़ाई/ झगड़ा' एवं 'अनुचित लाभ'- का तात्पर्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०० के अपवाद ४ के संदर्भ में।

दो भाइयों के मध्य झगड़ा हुआ, मृतक एवं अभियुक्त/अपीलार्थी- चूंकि अभियुक्त के कुत्ते मृतक की रसोई में प्रवेश कर गये थे। अभियुक्त द्वारा अपनी बंदूक निकाल कर, मृतक पर, ३५ फीट की दूरी से गोली चलाई गयी। मृतक गोली लगने से दम तोड़ देता है। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी मानते हुये, धारा ३०२ भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया एवं आजीवन कारावास से दण्डित किया। अपील में, उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धी एवं दण्ड को यथावत रखा जाता है। अतः वर्तमान अपील।

अभियुक्त/ अपीलार्थी का कथन रहा कि घटना अचानक झगड़े के दौरान घटी; एवं इसलिये धारा ३०० भारतीय दण्ड संहिता का अपवाद ४ लागू होता है।

न्यायालय द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुये, अभिनिर्धारित किया गया कि:

१.१. धारा ३०० भारतीय दण्ड संहिता का अपवाद चतुर्थ अचानक झगड़े में किये गये कार्यों को सम्मिलित करता है। उक्त अपवाद, अभियोजन के ऐसे प्रकरण के संबंध में है, जो कि अपवाद प्रथम की परिधि से बाहर है, जिसके उपरांत, इसका स्थान अधिक उचित होता। दोनों

अपवाद समान सिद्धांत पर आधारित हैं, दोनों में ही पूर्व चिंतन का अभाव है। परन्तु, अपवाद १ की स्थिति में आत्म संयम का पूर्ण रूप से अभाव है, अपवाद ४ की स्थिति में क्षणिक आवेश व्यक्तियों के संयमित व्यवहार को नगण्य करता है एवं उन्हें ऐसे कृत्य करने के लिये उकसाता है, जो वे अन्यथा नहीं करते। (३९२-जी, एच;३९३-ए)

१.२. अचानक झगड़ा उकसावे की सहमति की अेार इंगित करता है और दोनों ही पक्षों को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में किया गया मानव वध किसी एक पक्ष की उकसाहट के कारण हुआ, यह पता नहीं लगाया जा सकता है, ना ही ऐसे प्रकरणों में किसी एक पक्ष पर पूर्ण दोषारोपण किया जा सकता है। यदि ऐसा होता, तो जो अपवाद अधिक उपयुक्त होता, वह अपवाद १ होता। अचानक झगड़े में कोई पूर्व विचार अथवा इच्छा नहीं है। जब झगड़ा अचानक होता है, वहां, दोनों ही पक्ष कमोबेश दायित्वाधीन होते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक पक्ष द्वारा झगड़ा आरंभ किया गया हो, परन्तु यदि दूसरे पक्ष द्वारा अपने आचरण से बढाया नहीं गया होता, तब यह उतना गंभीर नहीं होता, जितना हो गया। ऐसी स्थिति में, आपसी उकसाहट एवं उत्तेजना है और झगड़े में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति का कितना दोष है, यह कहना मुश्किल है। अपवाद ४ के अंतर्गत प्रकरण को लाने के लिये, उसमें उल्लेखित सभी तत्वों का उपलब्ध होना आवश्यक है। (३९३-बी-ई)

१.३. अपवाद ४ को लागू करने के लिये, केवल यह दर्शित करना ही पर्याप्त नहीं होगा कि झगड़ा अचानक हुआ और इस हेतु कोई पूर्व चिंतन नहीं था। यह भी आगे दर्शित करना होगा कि अभियुक्त द्वारा स्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठाया गया अथवा क्रूरता पूर्ण अथवा असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया गया। अभिव्यक्ति 'अनुचित लाभ' जैसा कि प्रावधानों में प्रयुक्त किया गया है, का तात्पर्य 'अन्यायपूर्ण लाभ' से है। वर्तमान प्रकरण में, जब विधिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में, तथ्यात्मक परिदृश्य पर विचार करते हैं, तो अनिवार्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि धारा ३०० का अपवाद ४ स्पष्ट रूप से लागू होता है। इसके अतिरिक्त, गोली ३५ फीट की दूरी से चलायी गयी थी। यद्यपि दूरी हमेशा अभियुक्त के आशय अथवा ज्ञान को निर्धारित नहीं करती है, तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर, चोटों की प्रकृति, प्रयोग किये गये हथियार एवं अन्य सुसंगत कारणों के दृष्टिगत, विचार किया जाना अपेक्षित है। (३९३-एफ, जी, एच;३९४-ए)

धीरज भाई गोरख भाई नायक बनाम गुजरात राज्य, (२००३) ५ सुप्रीम २२३ एवं विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआइआर (१९५८) एस सी ४६५, न्यायिक दृष्टांतों से अवलंब लिया।

२. धारा ३०० के खण्ड तृतीय के अंतर्गत, यह आवश्यक नहीं कि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करने का रहा हो, जब तक कि मृत्यु, साशय शारीरिक उपहति अथवा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित

करने के लिये पर्याप्त उपहतियों से, होती है। यहां तक कि, यदि अभियुक्त का आशय, शारीरिक उपहति, जो कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त है, तक ही सीमित है, और उसका विस्तार मृत्यु कारित करने के आशय तक नहीं होता है, अपराध हत्या का ही होगा, धारा ३०० का दृष्टांत (ग) इस बिंदु को स्पष्ट करता है। उस आधार पर भी, उचित दोषसिद्धी धारा ३०४ भाग १ भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत ही उचित होगी एवं ना कि धारा ३०२ भारतीय दण्ड संहिता में। (३९४-डी, ई, एफ)

अब्दुल वहीद खान बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (२००२) ७ एस सी सी १७५ एवं रूलिराम व अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (२००२) ७ एस सी सी ६९१, न्यायिक दृष्टांतों से अवलंब लिया।

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : दाण्डिक अपील संख्या ८३०/ २००४,

हिमाचल प्रदेश की दाण्डिक अपील संख्या ३६२/ २००१, में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित १२-०६-२००३ से।

अजीत कुमार पाण्डे (ए.सी.) अपीलार्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय अरिजित पसायत, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया

अनुमति दी गयी।

तुच्छ सी बात को लेकर अपीलार्थी द्वारा भ्रातृ हत्या किया जाना माना गया। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा ३०२ भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (संक्षेप में 'भादस') के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी पाया गया एवं आजीवन कारावास से दंडित किया गया। अपील में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला द्वारा दोषसिद्धी एवं दण्ड को यथावत रखा गया।

अभियुक्त का विचारण जिन आरोपों पर हुआ, वे आवश्यक रूप से निम्नानुसार हैं:

श्री सुख देव उर्फ गुडडु (जिसे आगे 'मृतक' से उल्लेखित किया जायेगा) अभियुक्त का सगा छोटा भाई था। ०६-०२-२००० को रात्रि ९ बजे के लगभग मृतक एवं अभियुक्त में झगड़ा हुआ। झगड़े का कारण, अभियुक्त के कुत्तों का, मृतक की रसाेई के कमरे में प्रवेश करना था एवं जब मृतक द्वारा अभियुक्त को अपने कुत्ते चेन से बांध कर रखने के लिये कहा गया, तब मौखिक कहा सुनी हो गयी एवं दोनों क्रोधित हो गये, अभियुक्त अपने कमरे में गया, बंदूक निकाल कर लाया और ३५ फीट की दूरी से गोली चला दी, जिसके परिणामस्वरूप बंदूक के छर्रे मृतक की छाती में लगे। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी, अनुसंधान किया गया एवं आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ। अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोष बताते हुये, झूठा फंसाया जाना कथन किया गया। विचारण के दौरान, मृतक एवं अभियुक्त का पिता मुख्य

गवाह था, चूंकि उसके द्वारा स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी गवाह बताया गया था। उसके द्वारा तथ्यात्मक परिदृश्य की सजीव ढंग से व्याख्या की गयी। उक्त गवाह की साक्ष्य पर विश्वास करते हुये, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाया गया। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील को आक्षेपित निर्णय के द्वारा अस्वीकृत किया गया।

विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त- अपीलार्थी के इस कथन को नहीं माना गया कि घटना अचानक झगड़े के दौरान घटित हुयी, एवं धारा ३०२ भादस लागू नहीं होगी एवं धारा ३०० भादस का अपवाद ४ लागू होता है। उक्त कथन को वर्तमान अपील की सुनवायी के दौरान भी दोहराया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी कथन किया गया कि ३५ फीट की दूरी से गोली चलायी गयी थी एवं ऐसी स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता कि आशय मृत्यु कारित करने का ही था।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नीचे के न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों का समर्थन किया गया।

धारा ३०० भादस के अपवाद ४ को लागू करने के लिये यह साबित करना होगा कि कृत्य, बिना पूर्व चिंतन के, अचानक लड़ाई में, अचानक हुये झगड़े के कारण, आवेश में, किया गया, जिसका अभियुक्त द्वारा अनुचित लाभ नहीं उठाया गया एवं क्रूरतापूर्ण अथवा असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया गया।

धारा ३०० भादस का अपवाद चतुर्थ अचानक झगड़े में किये गये कार्यों को सम्मिलित करता है। उक्त अपवाद, अभियोजन के ऐसे प्रकरण के संबंध में है, जो कि अपवाद प्रथम की परिधि से बाहर है, जिसके उपरांत, इसका स्थान अधिक उचित होता। अपवाद समान सिद्धांत पर आधारित हैं, दोनों में ही पूर्व चिंतन का अभाव है। परन्तु, अपवाद १ की स्थिति में आत्म संयम का पूर्ण रूप से अभाव है, अपवाद ४ की स्थिति में क्षणिक आवेश व्यक्तियों के संयमित व्यवहार को नगण्य करता है एवं उन्हें ऐसे कृत्य करने के लिये उकसाता है, जो वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद ४ में उकसाहट है, जैसे कि अपवाद १ में; परन्तु कारित उपहति उस उकसाहट का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। अपितु अपवाद ४ ऐसे प्रकरणों से संबंधित है, जहां इस स्थिति के अन्यथा कि, प्रहार किया गया होगा, अथवा विवाद को आरंभ करने हेतु कुछ उकसाया गया होगा, अथवा किसी भी रीति से झगड़ा आरंभ हुआ हो, परन्तु दोनों ही पक्षों का पश्चातवर्ती आचरण उन्हें दोषी होने के संबंध में समान आधार पर रखता है। अचानक झगड़ा उकसावे की सहमति की अेार इंगित करता है और दोनों ही पक्षों को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में किया गया मानव वध किसी एक पक्ष की उकसाहट के कारण हुआ, यह पता नहीं लगाया जा सकता है, ना ही ऐसे प्रकरणों में किसी एक पक्ष पर पूर्ण दोषारोपण किया जा सकता है। यदि ऐसा होता, तो जो अपवाद अधिक उपयुक्त होता, वह अपवाद १ होता। यहां झगड़े में कोई पूर्व विचार अथवा इच्छा नहीं है। झगड़ा अचानक होता है, जिसके लिये

दोनों ही पक्ष कमोबेश दायित्वाधीन हैं। ऐसा हो सकता है कि एक पक्ष द्वारा झगड़ा आरंभ किया गया हो, परन्तु यदि दूसरे पक्ष द्वारा अपने आचरण से बढाया नहीं गया होता, तब यह उतना गंभीर नहीं होता, जितना हो गया। ऐसी स्थिति में, आपसी उकसाहट एवं उत्तेजना है और झगड़े में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति का कितना दोष है, यह कहना मुश्किल है। अपवाद ४ का सहयोग तब लिया जा सकता है, जब मृत्यु निम्न परिस्थितियों में हुई हो- (क) बिना पूर्व चिंतन के (ख) अचानक झगड़े में (ग) अभियुक्त द्वारा अनुचित लाभ नहीं उठाया गया है अथवा क्रूरता पूर्ण अथवा असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया गया है (घ) झगड़ा मरने वाले व्यक्ति के साथ हुआ हो। अपवाद ४ के अंतर्गत प्रकरण को लाने के लिये, उसमें उल्लेखित सभी तत्वों का उपलब्ध होना आवश्यक है। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा ३०० भादस के अपवाद ४ में उल्लेखित झगड़ा भादस में परिभाषित नहीं है। झगड़े के लिये दो व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक है। आवेश के लिये यह अपेक्षित है कि आवेश को नियंत्रण में करने का समय ना हो एवं हस्तगत प्रकरण में, पक्षकारान आरंभ में कहासुनी होने के परिणामस्वरूप अत्यधिक क्रोधित हो गये। झगड़ा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य का टकराव है, चाहे वह हथियार के साथ अथवा हथियार के बिना हो। अचानक झगड़ा किसे कहा जायेगा, इस क्रम में कोई सामान्य नियम प्रतिपादित करना संभव नहीं है। यह तथ्यों का प्रश्न है एवं झगड़ा अचानक हुआ अथवा नहीं, यह प्रत्येक प्रकरण के साबित तथ्यों पर आवश्यक रूप से

निर्भर करता है। अपवाद ४ को लागू करने के लिये, केवल यह दर्शित करना ही पर्याप्त नहीं होगा कि झगड़ा अचानक हुआ और इस हेतु कोई पूर्व चिंतन नहीं था। यह भी आगे दर्शित करना होगा कि अभियुक्त द्वारा स्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठाया गया अथवा क्रूरता पूर्ण अथवा असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया गया। अभिव्यक्ति 'अनुचित लाभ' जैसा कि प्रावधानों में प्रयुक्त किया गया है, का तात्पर्य 'अन्यायपूर्ण लाभ' से है। इन पहलुओं पर, न्यायिक दृष्टांत, धीरज भाई गोरख भाई नायक बनाम गुजरात राज्य, (२००३) ५ सुप्रीम २२३ में प्रकाश डाला गया है। जब उक्तांकित विधिक सिद्धातों के परिप्रेक्ष्य में तथ्यात्मक परिदृश्य पर विचार करते हैं, तो अनिवार्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि धारा ३०० भादस का अपवाद ४ स्पष्ट रूप से लागू होता है।

इसके अतिरिक्त, गोली ३५ फीट की दूरी से चलायी गयी थी। यद्यपि दूरी हमेशा अभियुक्त के आशय अथवा ज्ञान को निर्धारित नहीं करती है, तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर, चोटों की प्रकृति, प्रयोग किये गये हथियार एवं अन्य सुसंगत कारणों के दृष्टिगत, विचार किया जाना अपेक्षित है। न्यायिक दृष्टांत, विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआइआर (१९५८) एस सी ४६५, में इस पर विशिष्ट रूप से प्रकाश डाला गया कि धारा ३०० भादस के खण्ड तृतीय में मानव वध हत्या है, यदि निम्नांकित दोनों शर्तों की संतुष्टि होती है, जो कि, (क) यह कि कार्य, जिससे मृत्यु कारित की गयी, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो अथवा शारीरिक उपहति कारित करने के

आशय से किया गया हो; एवं (ख) यह कि साशय कारित की जाने वाली उपहति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी। यह साबित होना चाहिये कि ऐसी विशिष्ट शारीरिक उपहति कारित करने का आशय था, जो कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में, मृत्यु कारित के लिये पर्याप्त थी, अर्थात जो उपहति पायी गयी, वही उपहति कारित करने का आशय था। खण्ड तृतीय के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करने का रहा हो, जब तक कि मृत्यु, साशय शारीरिक उपहति अथवा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिय पर्याप्त उपहतियों से, कारित हाेती है। विरसा सिंह (पूर्वांकित) के प्रकरण में अभिनिर्धारित सिद्धांत के अनुसार, यदि अभियुक्त का आशय, शारीरिक उपहति, जो कि मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त है, तक ही सीमित है और उसका विस्तार मृत्यु कारित करने के आशय तक नहीं होता है, तब भी अपराध हत्या का ही होगा। धारा ३०० का दृष्टांत (ग) इस बिंदु को स्पष्ट करता है। इन पहलुओं पर, न्यायिक दृष्टांतों, अब्दुल वहीद खान बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (२००२) ७ एस सी सी १७५, एवं रूलिराम व अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (२००२) ७ एस सी सी ६९१, में प्रकाश डाला गया है। उस आधार पर भी उचित दोषसिद्धी, धारा ३०४ भाग १ भादस के अंतर्गत होगी एवं ना कि धारा ३०२ भादस में, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा की गयी एवं उच्च न्यायालय द्वारा उसे

यथावत रखा गया। तदानुसार दोषसिद्धी को परिवर्तित किया जाता है। दस वर्ष की अभिरक्षा का दण्ड न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा।

अपील इंगित सीमा तक स्वीकार की जाती है।

एस. के. एस. अपील आंशिक स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पूनम दरगन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।